(11)

आदेश

मेरे संज्ञान में आया है कि के0एम0पी0 एक्सप्रेस–वे एंव इसके साथ–2 खेतों के रास्ते से मेवात की तरफ से काफी संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल/साईकिल तथा अन्य वाहनों के द्वारा जिला पलवल में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। प्रबंधक थाना हथीन,सदर एंव कैम्प को बार–2 निर्देश देने के बावजूद इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि इस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के आवागमन की ईजाजत नहीं है। **अतः श्री सुनिल कुमार उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त थाना प्रबंधक, प्रबंधक थाना हथीन,सदर,कैम्प एंव यातायात की सहायता से के0एम0पी0 एक्सप्रेस वे पर स्वंय हाजिर रहकर प्रवासी मजदूरों के आवागमन पर पूर्णतया रोक लगाये।** यदि उक्त कोई थाना प्रबंधक इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या अरूचि दिखाता है तब इस बारे में तुरंत अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जाए। इस कार्य के निष्पादन हेतु पर्यवेक्षणाधिकारी द्वारा अतिरिक्त फोर्स की मांग करने पर सेना लिपिक तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने के प्रति जिम्मेवार होगा। किसी भी सूरत में जिला मेवात की तरफ से एक भी प्रवासी मजदूरों का सडक मार्ग/अन्य मार्ग/खेत के माध्यम से जिला पलवल में प्रवेश नहीं होना चाहिए। आदेश की पालना दृढता से की जाये।

पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

क्रमांक 5714–22/सुरक्षा दिनांक 07.05.2020

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 श्री सुनिल कुमार उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, पलवल।
2 प्रबंधक थाना हथीन पलवल।
3 प्रबंधक थाना सदर पलवल।
4 प्रबंधक थाना कैम्प पलवल।
5 प्रबंधक थाना यातायात पलवल।
6 सेना लिपिक पलवल।
7 प्रवाचक पुलिस अधीक्षक, पलवल।
8 प्रभारी नियंत्रण कक्ष, पलवल।

81

07/2020

Scanned with CamScanner